

हमिचल में बजिली पर बड़ा झटका! 126 यूनिट पार करते ही सब्सिडी खत्म

वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> 1. हमिचल प्रदेश में बजिली सब्सिडी के नए नियम लागू 125 यूनिट से अधिक खपत पर लगे...
- >> ऊर्जा विभाग द्वारा जारी वरीष दशानरिदेश...
- >> 2. 126 यूनिट पार करते ही खतुड होगी सब्सिडी, जानें 5.89 रुपये प्रतियूनिट का नया ...
- >> यूनिट और टैरफि दर की वसितृत गणना...
- >> 3. मुफ्त बजिली योजना की अहड शर्त राशन कार्ड से बजिली मीटर लकि करना हुआ अनवारि...
- >> राशन कार्ड और मीटर लकिगि प्रक्रिया...
- >> 4. एक परिवार, दो मीटर एक राशन कार्ड पर अधिकतड कतिने मीटरों को मलिगा लाभ?...>> दो मीटर नियड के मुख्य बदि...
- >> 5. दो से अधिक बजिली कनेक्शन वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्या है नया टैरफि?...>> तीसरे और उससे अधिक मीटरों पर लागू दरें...
- >> 6. उपभोक्ता खुद कर सकेंगे तड बलिगि ससिस्टड में सब्सिडी वाले दो मीटरों के चुनाव ...>> मीटर चडन और संशोधन की सुवधि...
- >> 7. बजिली बलि का नया स्लैब 0-125, 126-300 और 301 से अधिक यूनिट की खपत पर कतिना आ...
- >> हमिचल बजिली टैरफि स्लैब संरचना 2026...
- >> नषिर्ष (Conclusion)...
- >> जनता के सवाल (FAQs)...

Himachal Pradesh Power Subsidy New Rules 2026:हमिचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के घरेलू बजिली उपभोक्ताओं के लिए बजिली सब्सिडी के नियडों में एक बड़ा और डहतुवपूर्ण बदलाव कथिा है। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी नवीनतड आदेशों के तहत अब 125 यूनिट से अधिक बजिली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मलिने वाली पूरी सब्सिडी सडडत कर दी गई है।

इसके अलावा, मुफ्त बजिली योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से वतिरति करने के लिए सरकार ने इसे राशन कार्ड से जोड़ दथिा है। यदरि आप भी हमिचल प्रदेश के नविसी हैं और राज्य सरकार की बजिली सब्सिडी योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अतुयंत आवश्यक है। देश के अन्य राज्यों जैसे बहिर में भी बजिली कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं (पढ़ें:बहिर के करियेदारों की डौज! 125 यूनिट फ्री बजिली का हुआ ऐलान)। आइए जानते हैं हमिचल प्रदेश ऊर्जा विभाग के इस फैसले की पूरी डटिल।

1. हमिचल प्रदेश में बजिली सब्सिडी के नए नियड लागू: 125 यूनिट

हमिचल प्रदेश सरकार ने राज्य के बजिली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वुवसुथा में बड़ा संशोधन कथिा है। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली 125 यूनिट प्रतडिह तक मुफ्त बजिली की सुवधि अब कड़े

नयिमों के तहत ही उपलब्ध होगी।

ऊर्जा वभाग द्वारा जारी वशिष दशानरिदेश

वशिष सचवि (ऊर्जा) शुभकरण सहि ने बुधवार को एक आधकिारकि पत्र जारी कर इस फैसले की आधकिारकि पुष्टि की। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य बजिली सब्सडि में पारदर्शति लाना और फर्जी अनावश्यक कनेक्शनों पर लगाम लगाना है।

>> सब्सडि की सीमा:केवल 125 यूनिट प्रतिमाह तक ही शून्य बलि का लाभ मल्लिगा।

>> अतरिक्ति खपत:जैसे ही कसिी उपभोक्ता का मीटर 126 यूनिट पार करेगा, उसे पूरा व्यावसायकि गैर-सब्सडि वाला बलि देना होगा।

>> लागू तथि:ऊर्जा वभाग ने इस नयिम को तत्काल प्रभाव से लागू करने के नरिदेश दिए हैं।

2. 126 यूनिट पार करते ही खतम होगी सब्सडि, जाने 5.89 रुपये

नए नयिमों का सबसे बड़ा असर उन परिवारों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जनिकी मासकि खपत 125 यूनिट से अधिक हो जाती है। पूर्व में स्लैब के आधार पर राहत मलि जाती थी, लेकनि अब 126 यूनिट होते ही उपभोक्ता को शुरू से यानी 0 यूनिट से ही सामान्य टैरफि दरों पर भुगतान करना होगा।

यूनिट और टैरफि दर की वसितृत गणना

यदिआपकी मासकि बजिली खपत 126 यूनिट या उससे अधिक हो जाती है, तो आपको शून्य यूनिट से लेकर पूरी खपत पर 5.89 रुपये प्रति यूनिट के हसिाब से भुगतान करना पड़ेगा।

>> 0 से 125 यूनिट खपत:0 रुपये बलि (यदिपात्र दो मीटरों के अंतर्गत है)।

>> 126 यूनिट या उससे अधिक:0 यूनिट से लेकर पूरी खपत पर 5.89 रुपये प्रति यूनिट की दर।

>> अतरिक्ति प्रभार:सामान्य फकिस्ड चार्ज और ऊर्जा कर भी बलि में अलग से जुड़ेंगे।

3. मुफ्त बजिली योजना की अहम शर्त: राशन कार्ड से बजिली मीटर ल

सरकार ने मुफ्त बजिली का लाभ उठाने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राशन कार्ड लकिगि को पूरी तरह अनवार्य बना दिया है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य एक ही परिवार द्वारा कई मीटरों पर सब्सिडी का अनुचित लाभ उठाने से रोकना है।

राशन कार्ड और मीटर लकिंग प्रक्रिया

उपभोक्ताओं को अपने बजिली कनेक्शन का डेटा अपडेट कराने और अपने एक्टिव राशन कार्ड संख्या से मीटर को लकि कराने के निर्देश दिए गए हैं। आप इसे ऑनलाइन पोर्टल (Official HP Electricity Board Portal) पर लॉगिन करके या नजदीकी बजिली बोर्ड (HPSEBL) कार्यालय में जाकर अपडेट कर सकते हैं।

तकनीकी नवाचारों के इस दौर में जहां भारत नई ऊर्जा तकनीकों पर तेजी से काम कर रहा है (देखें:बिना डीजल-बजिली दौड़ी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन! जानिए खासियत), वहीं राज्यों का ध्यान ऊर्जा वितरण को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने पर केंद्रित है।

4. एक परिवार, दो मीटर: एक राशन कार्ड पर अधिकतम कतिने मीटरों

हिमाचल प्रदेश सरकार के विशेष सचिव (ऊर्जा) द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एक राशन कार्ड पर अधिकतम 2 बजिली मीटरों तक ही सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

दो मीटर नियम के मुख्य बिंदु

- >> प्रतिराशन कार्ड सीमा:केवल दो घरेलू मीटरों को ही 125 यूनिट तक की मुफ्त बजिली श्रेणी में रखा जाएगा।
- >> प्रतिमीटर छूट:दोनों मीटरों में से प्रत्येक पर 125 यूनिट प्रतिमाह तक की रियायत मिलेगी।
- >> संयुक्त परिवार:यदि किसी परिवार का एक ही राशन कार्ड है, तो उस कार्ड के तहत केवल 2 मीटर ही सब्सिडी के पात्र घोषित होंगे।

5. दो से अधिक बजिली कनेक्शन वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्य

कई परिवारों के पास एक ही परिसर या अलग-अलग मंजिलों पर दो से अधिक बजिली कनेक्शन लगे होते हैं। ऐसे मामलों के लिए सरकार ने स्पष्ट और पारदर्शी टैरिफ नीतियां निर्धारित कर दी हैं।

तीसरे और उससे अधिक मीटरों पर लागू दरें

जनि उपभोक्ताओं के पास एक राशन कार्ड पर दो से अधिक बजिली मीटर हैं, उन्हें अतिरिक्त (तीसरे, चौथे आदि) मीटरों पर किसी भी प्रकार की मुफ्त बजिली सब्सिडी प्राप्त नहीं होगी। उनके लिए शुल्क इस प्रकार तय किया गया है:

>> 0 से 125 यूनिट तक खपत: अतिरिक्त मीटर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी और उपभोक्ताओं को 5.44 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना होगा।

>> 126 यूनिट से अधिक खपत: अतिरिक्त मीटर पर यदि खपत 126 यूनिट पार करती है, तो उपभोक्ता को शून्य यूनिट से 5.89 रुपये प्रति यूनिट की दर से पूरा बिल देना पड़ेगा।

6. उपभोक्ता खुद कर सकेंगे तय: बिलिंग सिस्टम में सब्सिडी वाले

उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) ने बिलिंग सिस्टम में विशेष व्यवस्था की है। यदि किसी उपभोक्ता के नाम पर दो से अधिक मीटर रजिस्टर्ड हैं, तो ऑटोमैटिक बिलिंग सिस्टम शुरूआती दो मीटरों का चयन सब्सिडी के लिए कर लेगा।

मीटर चयन और संशोधन की सुविधा

यदि उपभोक्ता अपने अन्य किसी मीटर पर सब्सिडी स्थानांतरित करना चाहता है, तो उसे बिलिंग सिस्टम के जरिए अपना पसंदीदा मीटर चुनने की छूट दी गई है।

>> ऑटो-सिस्टम चयन: शुरूआती दो मीटरों का चयन बिलिंग सॉफ्टवेयर द्वारा डिफॉल्ट रूप से किया जाएगा।

>> उपभोक्ता विकल्प: उपभोक्ता बाद में ऑनलाइन पोर्टल या बिलिंग काउंटर पर आवेदन करके अपने सब्सिडी वाले दो मीटरों के विकल्प को बदल (Modify) सकते हैं।

>> ऑनलाइन स्टेटस चेक: उपभोक्ता अपने उपभोक्ता आईडी (Consumer ID) से ऑनलाइन लॉगिन करके अपने मीटर का सब्सिडी स्टेटस आसानी से जांच सकते हैं।

7. बजिली बिल का नया स्लैब: 0-125, 126-300 और 301 से अधिक यूनिट

नए स्लैब आधारित सब्सिडी ढांचे के तहत अब राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बजिली बिल की गणना तीन मुख्य चरणों में विभाजित की गई है। आइए इस नए स्लैब ढांचे को विस्तार से समझते हैं:

हमिचल बजिली टैरफि स्लैब संरचना 2026

>> 0 से 125 यूनिट स्लैब: पात्र दो मीटरों पर 100% सब्सिडी यानी शून्य रुपये बलि। (अतिरिक्त मीटर पर 5.44 रु यूनिट)।

>> 126 से 300 यूनिट स्लैब: इस श्रेणी में आने पर पूरी खपत (0 यूनिट से) पर 5.89 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

>> 301 यूनिट से अधिक स्लैब: 301 यूनिट से ऊपर खपत होने पर भी उपभोक्ताओं को बिना किसी सब्सिडी के पूरी यूनिट दर और सामान्य अधिभार देना होगा।

राज्य की अन्य महत्वपूर्ण खबरों व मनोरंजन समाचारों की जानकारी के लिए आप विभिन्न अपडेट्स भी देख सकते हैं (जैसे: नागालैंड लॉटरी रजिस्ट्रार आज: 1 करोड़ का बंपर प्राइज़, चेक करें अभी!)।

नष्कर्ष (Conclusion)

हमिचल प्रदेश सरकार द्वारा बजिली सब्सिडी नियमों में किया गया यह बदलाव राज्य के राजस्व को सुव्यवस्थित करने और सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि में एक बड़ा कदम है। 125 यूनिट से अधिक खपत करने वाले या दो से अधिक मीटर रखने वाले उपभोक्ताओं को अब नए टैरफि के अनुसार बलि देना होगा।

सभी घरेलू उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपना राशन कार्ड अपने बजिली मीटर कनेक्शन से तुरंत लॉक करा लें, ताकि उन्हें पात्र मीटरों पर 125 यूनिट तक निशुल्क बजिली का निर्बाध लाभ मिलता रहे।

जनता के सवाल (FAQs)

निशुल्क बजिली का लाभ उठाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को अपने बजिली मीटर को अपने राशन कार्ड से लॉक करवाना अनिवार्य किया गया है।

एक राशन कार्ड पर अधिकतम दो (2) घरेलू बजिली मीटरों पर ही 125 यूनिट प्रति माह तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

126 यूनिट या उससे अधिक खपत होने पर शून्य (0) यूनिट से ही 5.89 रुपये प्रति यूनिट की दर से पूरा बलि चुकाना होगा, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

दो से अधिक मीटर वाले उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक 5.44 रुपये प्रति यूनिट और 126 यूनिट से अधिक खपत होने पर 5.89 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा।

जी हाँ, शुरुआत में बिलिंग सिस्टम द्वारा दो मीटरों का चयन किया जाएगा, जिसे उपभोक्ता बाद में अपनी आवश्यकतानुसार बदल (Modify) भी सकते हैं।

YOJANASEWA.COM

<https://yojanasewa.com>

आप हिमाचल प्रदेश बजिली बोर्ड (HPSEBL) की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना कंज्यूमर नंबर और राशन कार्ड नंबर डालकर लकी कर सकते हैं।

नहीं, नए नियमों के अनुसार 126 से 300 और 301 यूनिट से अधिक की खपत पर किसी प्रकार की सब्सिडी देय नहीं होगी।

आप HPSEBL के उपभोक्ता पोर्टल पर अपने Consumer Number की मदद से सब्सिडी स्टेटस और बिल डिटिल्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।